




NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

दिनांक 22.2.2021

केन्द्रीय कर्मचारी हित निधि समिति की बैठक आज दिनांक 22.2.2021 को प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें NCRES के निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे।

श्री सैयद शकील हैदर, अध्यक्ष, एन.सी.आर.ई.एस.

श्री आर. पी. सिंह, महामंत्री, एन.सी.आर.ई.एस.

श्री वी. जी. गौतम, कार्यकारी अध्यक्ष, एन.सी.आर.ई.एस.

(1) मुख्यालय परिसर में 'जिम' स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(2) रेल गाँव के निराला पार्क में जिम स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(3) रेल कर्मचारी को लम्बी अवधि की गम्भीर बीमारी में नो लीव नो पे की स्थिति में निर्वाह भत्ता रु. 5000/- से बढ़ाकर रु. 30000/- एवं साधारण बीमारी में निर्वाह भत्ता रु. 1500/- से बढ़ाकर रु. 10000/- करने का निर्णय लिया गया।

एन.सी.आर.ई.एस. के द्वारा दिनांक 22.4.2020 को भेजे गये एजेण्डे पर निम्न निर्णय लिया गया।

(4) प्रयागराज में स्थान का निर्धारण कर होली डे होम का निर्माण कराया जायेगा।

(5) नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इदगाह स्टेशन एवं अन्य जगहों पर स्थित हाली डे होम में सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निर्णय लिया गया।

(6) नैनीताल के 'होली डे होम' में नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के लिये कमरे आरक्षित करने के लिये उत्तर रेलवे से वार्ता करने का निर्णय लिया गया। उत्तर रेलवे द्वारा सहमति न मिलने पर किराये पर कमरे लिये जायेंगे।

(7) कर्मचारियों के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडियेट की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले बच्चों में से टाप टेन को कमश: रु. 5000/-, रु. 4000/-, रु. 3000/- एवं चतुर्थ से 10 वें स्थान तक प्रत्येक को रु. 2000/- प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

(8) महिला कर्मचारियों को निजी सुरक्षा हेतु मिर्च स्प्रे सप्लाई किये जाने का निर्णय लिया गया और इसके लिये सभी मण्डलों को परिपत्र जारी कर हेडक्वाटर एवं मण्डल द्वारा आपूर्ति सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) कर्मचारी हित निधि से आवंटित किये जाने वाली धन राशि के लिये रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली एवं CMLR कारखाना को झांसी वैगन मरम्मत कारखाना के साथ एवं सभी मण्डल/कारखाना/मुख्यालय के लेखा यूनिटों को वर्ष 2021-22 सम्बन्धित मण्डल/कारखाना/मुख्यालय के साथ मर्ज किये जाने का निर्णय लिया गया।

mij पा. ११६
(आर. पी. सिंह)
महामंत्री